स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0/08–प्रशि0/आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप/2013–14/2052–75 दिनांक 14 08.2013

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह मद में अनुमोदित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम् भूमिका है। जैसा कि आपको विदित है आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर आशा मेन्टॉरिंग समूह गठित है। आशा मेन्टॉरिंग समूह में सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, शिक्षण संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

उपरोक्त समूह का प्रमुख उद्देश्य आशा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन निदेशक को नीति, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं क्षमतावर्द्धन जैसे मुद्दों पर सलाह देना है। पूर्व में प्रदेश में जनपद स्तर पर पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/आशा सपोर्ट/2008–09/5/ 11363–71 दिनांक 29 मई, 2009 के द्वारा जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह गठित करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये थे।

1. आशा मेन्टॉरिंग समूह के मुख्य उद्देश्य–

- आशा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना।
- सदस्यों द्वारा समय–समय पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का दौरा कर आशा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कर रणनीतिक दिशा–निर्देश विकसित करने में राज्य को सहायता प्रदान करना।
- त्रैमासिक आधार पर आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक आयोजित कर समस्याओं तथा प्रस्तावित नवीन रणनीतियों को शेयर करना।
- आशा योजना के अंतर्गत समय–समय पर जारी शासनादेशों व निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराये जाने में सहयोग करना।

2. जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग समूह की संरचना–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जनपदीय आशा नोडल अधिकारी	संयोजक
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य
6	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
7	जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8	आई0एम0ए0/आई0ए0पी0 के प्रतिनिधि	सदस्य

9	पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (दो)	सदस्य
10	बी0डी0ओ0 (दो)	सदस्य
11	सी0डी0पी0ओ0 (दो)	सदस्य
12	स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि (छः)	सदस्य
13	एच0ई0ओ0 (दो)	सदस्य
14	जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर	सचिव
15	स्वास्थ्य निरीक्षिका (दो)	सदस्य
16	राज्य आशा मेन्टॉरिंग समूह से नामित सदस्य	सदस्य

3. <u>आशा योजना के मुख्य बिन्दु जिन पर समूह के सदस्य फीडबैक प्राप्त कर प्रभावी परिणाम हेतु सुझाव दे सकते हैं</u>--

- आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान प्रक्रिया
- ब्लॉक स्तरीय आशा मासिक बैठक
- आशा शिकायत निराकरण प्रक्रिया
- आशाओं द्वारा अपनी गतिविधियों के निष्पादन में आने वाली समस्याएं
- विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय अगली पंक्ति के कार्यकत्रियों / कार्यकर्ताओं के साथ समन्वयन सम्बन्धी
- आशा के कार्यक्षेत्र में असेवित / अल्पसेवित समुदायों एवं घरों का स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग में भागीदारी एवं ऐसे घरों तक आशा की पहुँच सम्बन्धी

4. आशा मेन्टॉरिंग समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने--अपने कार्यक्षेत्र में आशाओं की मेन्टॉरिंग का मुख्य दायित्व होगा। जनपदों में आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। जिसमें सदस्यगण आवश्यक फीडबैक / सुझाव देंगे और विभिन्न बिन्दुओं पर अपनी आख्या जिला स्तर पर प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रयास किया जाय कि स्वैच्छिक संगठन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण कार्यक्रम बनाकर आशा मेन्टॉरिंग का कार्य करेंगे।
6. राज्य आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्य जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक के विचारणीय बिन्दुओं को राज्य स्तर पर होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
7. आयोजित बैठक का कार्यवृत्त जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा राज्य आशा नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित किया जायेगा।

8. <u>जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के संचालन हेतु प्रशासनिक / वित्तीय व्यवस्था</u>--

(अ) यात्रा व्यय (वास्तविक आधार पर)	रू0 1000 /--
(ब) बैठक हेतु जलपान	रू0 500 /--
(स) कन्टीजेन्सी एवं अन्य	रू0 1000 /--

वर्ष 2013--14 में के अनुमोदित कार्ययोजना में प्रत्येक जनपद के लिये रू0 10000 उपरोक्त मद में स्वीकृत किये गये हैं। जिसके अंतर्गत प्रत्येक त्रैमास में (वित्तीय वर्ष में कुल चार बैठकें) जिला स्तर पर एक बैठक प्रावधानित है। यह धनराशि एफ0एम0आर0 कोड सं0 B1.1.5.4 के अंतर्गत जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

जनपदीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के समस्त सदस्यों को आशा योजना की मेन्टॉरिंग के लिए यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे स्वतंत्र रूप से समुदाय/पंचायत स्तर पर कार्य कर निरपक्ष फीडबैक एवं सुधारात्मक सुझाव दे सकें, जिससे आशा कार्यक्रम को सुदृढ़ता प्रदान की जा सके।

भवदीय,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,

पत्रांकः प0क0/08–प्रशि0/आशा मेन्टॉरिंग ग्रुप/2013–14/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
8. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,